INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

IN-UP84724536039693X
ACC Name Yogesh ACC Code-UP14120104
ACC Address Sadar Mobile 9336449543
Licence No. 9 Tehsil & District-Sadar Gorakhpur

₹10

Certificate No.	:	IN-UP84724536039693X
Certificate Issued Date	:	09-Apr-2025 12:18 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14120104/ CHAURI CHAURA/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14120104667536841413 18X
Purchased by	:	JITENDRA BAHADUR CHAND S O RAMKRIPAL CHAND
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JITENDRA BAHADUR CHAND S O RAMKRIPAL CHAND
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	JITENDRA BAHADUR CHAND S O RAMKRIPAL CHAND
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

IN-UP84724536039693X

Please write or type below this line

नकल आवेदन 3254/25 के साथ वही० IV

जि०/खण्ड/सं०/ 195 पृष्ठ सं० 39-98

क्रमांक सं० 29 दिनांक 30-1-2016

मूल प्रति संलग्न है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार।

नकलकर्ता तुलनाकर्ता सत्यप्रतिलिपि

स.र.II गो०

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

30 DEC 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 951796

जितेन्द्र बहादुर चन्द

MO-9415334701

न्यास पत्र

हम कि श्री जितेन्द्र बहादुर चन्द पुत्र स्व0 राम कृपाल चन्द निवासी ई –72, महुईसूधरपुर, फुलवरिया, न्यूशिवपुरी कालोनी, गोरखपुर का हूं। हम मुकिरा समाज के आर्थिक,सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिरन की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति आपसी सद्‌भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणो की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल–भूत आवश्यकताए भोजन, शिक्षा उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई चारा साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद,जाति-पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

पढ़ा– के0 पी0 श्रीवास्तव

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

भारत — सत्यमेव जयते — INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 981839

उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाये जिनहित के उक्त कार्यों का संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरा द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 10000/– (दस हजार) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिरा अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी।

यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम "लक्ष्मी देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" होगा जिसे इस न्यास पत्र मे आगे "न्यास अथवा ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 988486

2. यह कि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ई --72, [illegible] फुलवरिया, न्यूशिवपुरी कालानी, गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य का सुचारू रूप से सम्पदित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालय के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिरा ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्ध भी कहे जायेंगे। हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्ट नामित करती हूं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या 2 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्यं में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्य की सुगम प्राप्ति हम अन्य ट्रस्टियों की भी निदुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिरा द्वारा नामित ट्रस्टियों [illegible] मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायगा। ट्रस्ट का स्थापना के समय हम मुकिरा द्वारा ट्रस्टी के रूप मे नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है.-

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA [illegible]

कालेज तथा चिकित्सा शिक्षा हेतु मेडिकल कालेजों का स्थापना करना एव उनका संचालन करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एव कम्प्यूटर तकनीकि पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियोंको अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध करना। इस तात्पर्य हेतु आवश्यकता पड़ने इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना करना।

5. लिंग–भेद, जाति–पांति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

6. शिक्षा प्रचार / प्रसार / उन्[illegible] के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा / तकनीकी / गैर तकनीकी शिक्षा / [illegible] शिक्षा / शिक्षा –प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

7. हिन्दी, ऊर्दू, संस्कृत व भारत के अन्य [illegible]तीय भाषाओं का सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से प्रचार करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. श्रीमती मन्जु चन्द पत्नी श्री जितेन्द्र बहादुर चन्द निवासी ई –72 महुईसूधरपुर, फुलवरिया, न्यूशिवपुरा कालोनी, गोरखपुर ।
2. श्री शुभेन्द्र चन्द कोशिक पुत्र श्री जितेन्द्र बहादुर चन्द निवासी ई –72, महुईसूधरपुर, फुलवरिया, न्यूशिवपुरी कालोनी, गोरखपुर

4\. यह कि हम मुकिरा द्वारा "लक्ष्मीना देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. समाज के आर्थिक सामजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओ को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0, सी0बी0एस0सी0, आई.सी.एस.सी. बोर्ड, संम्बद्व प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं तकनीकि शिक्षा हेतु आई.टी.आई. कालेज, पालीटेक्नीक कालेज, इंजीनियरिंग

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

सत्यमेव जयते

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　31AA 358133

8 सभी वर्ग/जाति के बालक–बालिकाओं के कल्याणार्थ साहित्यिक, वैज्ञानिक, क्रियात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, कम्प्यूटर, व्यवसाय व पारम्परिक शिक्षा प्रदान करने हेतु रोजगार परक व्यसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

9. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10 शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं ,जैसे– मेडिकल,इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

11.ट्रस्ट के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

12.अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछडे एवं कमजोर वर्गों के लिये स्वरोजगार [illegible] योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13.युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग [illegible]

जितेन्द्र बहादुर चन्द　　　　जितेन्द्र बहादुर चन्द　　　　6

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z1AA [illegible]

जैसे- सिलाई, कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक वायरमैन डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल सरक्षण कुकिंग / बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि, [illegible] केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार इनके लिये [illegible] कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14 खाद्य प्रस्संकरण जैसे- जैम, जैली, मुरब्बा, अचार,केचप तथा अन्य फल सरक्षण का प्रशिक्षण देना।

15.विकलांग व्यक्तियों के पूर्नवास के लिये फिजियोथिरैपी सेन्टर की स्थापना करना।

16.शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों को स्वयं द्वारा दैनिक क्रियाओं के निवृति हेतु योग एवं कसरत करना तथा इससे सम्बिन्धत सेन्टर की स्थापना करना तथा ऐसे, व्यक्तियों को समाज के उचित स्थान दिलाने का प्रयास करना।

17.विकलांग व्यक्तियों को दवा, तिपहिया साईकिल आदि की [illegible] करना।

18.युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य सहभागी [illegible]

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA [illegible]

सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथाविजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

19. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को कियावन्वित करना जैसे-गुंग, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछडे वर्ग /गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

20. विकलांग व्यक्तियों के पूर्नवास के लिये फियोथिरेपी सेन्टर का स्थापना करना

21. शारिरीक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियो के पूर्नवास केन्द्र की स्थापना करना

22. वृद्धो के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

23. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुँनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

24. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का बढावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

केन्द्र, बारात घर, धर्मषाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाडी, बालवाडी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवंअन्य प्रषिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना

25.सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पडी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औशधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधे का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (फ्लोरो कलचर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।

26.कृषि, बागवानी, सुगन्धित पौधों/फूलो की खेती को आर्थिक विकास तथा रोजगार पुरकबनाने हेतु नये तकनीकी का प्रयोग करने के लिये शिक्षा, प्रशिक्षण व बागवानी बोर्ड से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित करना व उपयोगी बनाने के लिये शोधकार्य, प्रचार–प्रसार जागरूकता संग्रहकरण व विपणन सम्बन्धित कार्यक्रम एवं मेला आयोजित करना।

27.खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुचाना। खादी वस्त्रों एवं गांधी जी के विचारों का प्रचार–प्रसार करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

28.राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेशकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना

29.विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनीसेफ युनेस्को, वर्ल्डफुड, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन, कन्ज्युमर वेलिफेयर, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

30.घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक–थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन कराना।

31.बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा–भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 व किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगो को उनसे हाने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

32.समाज में व्याप्त बुराईयां जैसे–अन्धा–विश्वास, बाल विवाह, दहज प्रथा

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 358139

बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोशण, लिंगभेद अस्पृश्यता, जाति-पात एव छुआ-छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

33.हस्तशिल्प कला विकास हेतु तथा हस्त शिल्पियों के आर्थिक विकास हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण, प्रोत्साहन हेतु जागरूकता शिविर, वर्कशाप, सेमिनार का आयोजन, विपणन व प्रचार-प्रसार हेतु स्टाल, प्रदशनी, मेले का आयोजन करना तथा सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहयोग दिलाना।

34.युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना तथा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

35.सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना विभिन्न त्यौहारों जैसे- होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे- शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोक-थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

36.विभिन्न प्रकार के खेल जैसे- योगा, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरों एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुरचन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA

37.परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियत्रण,परिवार नियोजन,टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/ किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्ष केन्द्र की स्थापना करना, सहयोग से रक्तदान, शिविर, दानशिविर, नेशनल पोलिया उन्मूलना, सरवाइलेन्स, फाइलेरिया, इन्सेफेलाइटिस उन्मसार्थ कार्यक्रम व चाईल्ड हेल्पिंग केन्द्र की स्थापना एवं संचालन, करना।

38.एड्स, कैन्सर, टी0बी0,कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियापैथिक,आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना। व उक्त रोगो से पीड़ित व्यक्तियो का इलाज कराना व परामर्श देना, पारिवारिक, सामाजिक, राश्ट्रीय एकीकृत/एकीकरण हेतु सामाजिक भावना तथा भारतीय नागरिको/युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत कर विघटनकारी प्रवृति रोकना।

39.सरकार की सहायता से गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सड़क निर्माण, खण्डजा,पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत [illegible]

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 358 42

बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।

40.कृषि उद्योग को बढावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीकि का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारीयो की जानकारी देने अथवा दावा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानो का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीको का प्रचार–प्रचार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

41.वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना। ग्रामिणों के स्वरोजगार हेतु बकरी, कुकुर पालन, डेयरी, मधुमख्खी पालन, केचूआ पालन आदि गृह कुटीर उद्योगो की स्थापना करना कृषि व आर्थिक विकास हेतु पशुधन/पशुपालन को बढावा, पशु व जीव जन्तु संरक्षण हेतु कार्यक्रम करना तथा जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम को संचालित करना।

42.बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत, वातावरणीय सरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43.प्राकृतिक आपदा जैसे– हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ, आग सूखा, अकाल,

44.चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दषा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पषुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान। तत्काल सुविधा पहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिये अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।

45.समाज के कमजोर व पिछड़ो के लिये गृह उद्योग, कुटी उद्योग की व्यवस्था करना।

46.भ्रुण....... परीक्षण व भ्रुण हत्या के विरोध जागरूक कार्यक्रमो चलाकर समाज को सही दिशा दिखाना।

47.दृष्टिकोण की रोकथाम हेतु निशुल्क नेत्र शिविर, नेत्र आपरेशन शिविर, सेमिनार, वर्कशाप, टीकाकरण का संचालन करना।

48.जल स्त्रोत, जल तथा जल संशाधन को विकसित तथा संरक्षित करने तथा इन्हे प्रदूषण मुक्त रखने हेतु जल जागरूकता व जलसंरक्षण के कार्यक्रमों का संचालित करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 31AA [illegible]

49.उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0के माध्यम से चलाया जा रहा है।

50.पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

51.गरीब लोगों विशेशकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

52.किसी एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

53.सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़--नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 358145

54. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

55. सरकारी तथा गैर सरकारी / लोगों / संस्थाओं / तत्रों / कम्पनी / दुकानो से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

56. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुंचाना।

57. पारिवारिक, सामजिक, राश्ट्रीय एकीकृत / एकीकरण हेतु सामाजिक भावना तथा भारतीय नागरिको / युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत कर विघटनकारी प्रवृत्ति रोकना।

58. जनता व समाज के हित में उनको उचित मूल्य पर आवश्यक वास्तुओं को उपलब्ध कराने के लिये जनता भण्डारण खोलने हेतु सरकार से सहयोग लेना।

59. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया–कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलना।

60. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

जितेन्द्र बहादुर चंद

जितेन्द्र बहादुर चंद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकारा एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबंध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करना एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करांना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

जितेन्द्र बहादुर चंद

जितेन्द्र बहादुर चंद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 358147

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियो मे अनियमितताक की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितिय में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट मे निहित करना।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओ, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रो, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रो, गौ–शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर सरकारी, विभागो से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा सकल्पित समस्त कार्यो को करना।

11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 79AC 832763

12.ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी व इन्स्टीचयूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन –

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिरा होगीं और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्ही परिस्थितियो में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।

जितेन्द्र बहादुर चन्द   जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 832764

किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिये ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्तपदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्ट का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 832765

स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाा व इन्स्टीच्यूट के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिका संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें तथा उन्हे नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसकें लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्ट अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

जितेन्द्र बड़ाउचन जितेन्द्र बड़ाउचन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 832766

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्श में एक बार वार्षिक बैठक अवष्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी सस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्शिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप मे कार्य करना।

2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

जितेन्द्र बहादुर चंद   जितेन्द्र बहादुर चंद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 833767

3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना / कराना।

4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।

5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिर्पोट ट्रस्ट मण्डलके समक्ष रखना।

6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों मे ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट को मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।-

9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10 ट्रस्ट के आय--व्यय का रिर्पोट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

11.ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 832768

8. ट्रस्ट की कोश की व्यवस्था :

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गयें खातें का संचालन मुख्य ट्रस्ट द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्ट द्वारा अधिकृत ट्रस्ट के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख :

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्ट का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंको से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एव समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर संकेंगे या किसी चल या

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

79AC 832769

अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

4. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय मे प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सकता तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगा।

5. ट्रस्ट के आय-व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 79AC 882 0

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

8. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता हों। ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो सभी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्ते लागू होगीं।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

?9AC 832771

घोषणा

"लक्ष्मीना देवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" की तरफ से हम श्री जितेन्द्र बहादुर चन्द मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत् गठन हो सके।

जितेन्द्र बहादुर चन्द

जितेन्द्र बहादुर चन्द

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण :

[illegible]

1. [illegible]

Redambari D/o Jitendra Bahadur chand

2. E-72, Mahuisugharpur, Rhuwaria, GKP

दिनांक

मजमूनकर्ता

अवनीश कुमार शुक्ला

एडवोकेट

जितेन्द्र बहादुर चन्द

केवल प्रसाद (स्टाम्प [illegible])

कचहरी, गोरखपुर

आज दिनांक **30/01/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **195**

पृष्ठ सं. **39** से **98** पर कमांक **29**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रईस अहमद खॉ

उप निबंधक द्वितीय

गोरखपुर

30/1/2016

नकलकर्ता तुलनाकर्ता सत्यप्रतिलिपि

स.र.II गो०